संलग्नक-8/1-5
Reply of D.O.

प्रेषक,

शिवकुमार सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

विषय– अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 24/सी.एफ./2019 दिनांकित 30.11.2019 के संदर्भ में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र में सत्र वाद संख्या 124/2014 राज्य प्रति आज्ञाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 302/34 भा0द0स0 थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के संदर्भ में मेरा अनुरोध एवं स्पष्टीकरण निम्नवत् है:–

उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–2 में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह सर्वथा सत्य हैं। उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–3 में जो तथ्य माननीय महोदय ने सीमा विस्तार हेतु अनुरोध पत्र न लिखे जाने के संदर्भ में लिखा है जो उक्त पत्रावली के अवलोकन से सत्य पाया गया है।

इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि जो 6 माह में शीघ्रतापूर्वक विचारण करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2019 को पारित किया गया है। उक्त आदेश माननीय महोदय के प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 09.04.2019 को प्राप्त हुआ है। उस वक्त मैं अपने पिता जी की मृत्यु के उपरान्त अर्जित अवकाश पर था।

मैं दिनांक 15.04.2019 को अर्जित अवकाश से वापस लौटा और उसी दिन कार्य मुक्त हो गया और अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक, द्वितीय के कोर्ट के न्यायालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय का उक्त आदेश मेरे संज्ञान में नहीं आ सका।

इसी बीच उक्त सत्र परीक्षण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 02.05.2019 को पुनः फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय में अंतरित हो गया जिसमें दिनांक 23.05.2019 की तिथि पूर्व से नियत थी। दिनांक 23.05.2019 को पत्रावली सर्वप्रथम मेरे समक्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय के न्यायालय में पेश हुई जिसमें अधिवक्ताओं को सूचित करते हुये गवाह पी0डब्लू01 को तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया और दिनांक 13.06.2019 की तिथि नियत की गयी दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण में व्यस्त होने के कारण पत्रावली में कोई

कार्यवाही नहीं हो सकी। पत्रावली दिनांक 11.07.2019 को नियत की गयी। दिनांक 11.07.2019 को मैं माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार आई.आई.पी.ए. (दिल्ली) में प्रशिक्षणाधीन था इस कारण पत्रावली दिनांक 31.07.2019 को साक्ष्य हेतु नियत की गयी और साक्षी को तलब करने का आदेश प्रभारी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया। दिनांक 31.07.2019 को प्रथम बार पत्रावली पूर्णरूपेण मेरे समक्ष कार्यवाही हेतु पेश हुई।

चूंकि गवाह पी0डब्लू01 दिनांक 09.09.2016 को मुख्य परीक्षा अंकित कराने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ इस कारण उसके विरूद्ध मेरे द्वारा गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत करते हुये दिनांक 20.08.2019 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 20.08.2019 को गवाह गिरफ्तार होकर न्यायालय में पेश हुआ। साथ ही दो अन्य गवाह भी उपस्थित आये तथा साक्षी कान्सटेबिल दयाराम आजाद की मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ। इस तिथि को साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरान्त पत्रावली वास्ते जिरह दिनांक 03.09.2019 नियत की गयी। चूंकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये इसलिये उनके जिरह का अवसर समाप्त किया गया।

चूंकि पुनः यह पत्रावली फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय के न्यायालय से अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के न्यायालय में माननीय महोदय के आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरित कर दी गयी क्योंकि मेरी पोस्टिंग स्पेशल जज एस0टी0/एस0टी0 एक्ट के रूप में हो गयी थी इस कारण मुझे इस पत्रावली की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था।

दिनांक 03.09.2019 को मैं इस न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहा था बल्कि मेरे पूर्वाधिकारी के द्वारा पी0डब्लू01 से जिरह कराई गई एवं शेष जिरह हेतु पत्रावली दिनांक 27.09.2019 नियत कर दी गयी। दिनांक 27.09.2019 और दिनांक 16.10.2019 को पुनः गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये इस कारण पत्रावली दिनांक 01.11.2019 को पी0डब्लू01 से जिरह हेतु नियत की गयी। चूंकि गवाह लगभग 3 वर्षों बाद न्यायालय में उपस्थित हुआ था इसलिये बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कुछ जिरह की गयी और शेष जिरह हेतु समय की याचना की गयी। इस कारण दिनांक 01.11.2019 से दिनांक 04.11.2019 की तिथि मेरे द्वारा नियत की गयी और दिनांक 04.11.2019 को चूंकि गवाह और अभियुक्त दोनों उपस्थित थे लेकिन अधिवक्तागण के कार्य से विरत होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। इस कारण पत्रावली दिनांक 18.11.2019 को नियत की गयी उस तिथि को पी0डब्लू01 से जिरह की गयी। शेष जिरह हेतु आगे की तिथि नियत की गयी।

महोदय यदि उपरोक्त समस्त तथ्यों का अवलोकन किया जाय तो इससे

स्पष्ट होता है कि मेरे द्वारा गवाह पी0डब्लू01 की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने से लेकर साक्ष्य अंकित कराने तक किसी भी प्रकार से कोशिश एवं प्रयास करने में कमी नहीं की गयी है।

उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र के पैरा–5 में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र एवं धारा 309 सी0आर0पी0सी0 के प्राविधानों के सम्बन्ध में किया गया कथन सर्वथा सही है। लेकिन उपरोक्त समस्त परिपत्र एवं धारा 309 सी0आर0पी0सी0 के प्राविधान सामान्य परिस्थितियों हेतु बनाये एवं निर्गत किये गये हैं। लेकिन इस जनपद की स्थिति सर्वथा भिन्न है और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद न्यायालय के द्वारा यथासम्भव हर प्रकार के मुकदमों को प्राथमिकता देते हुये उनके यथाशीघ्र निस्तारण का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। यह तथ्य माननीय महोदय के पूर्णतया संज्ञान में है कि जनपद श्रावस्ती में मेरे न्यायालय के अतिरिक्त कोई भी अपर सत्र न्यायालय कार्यरत नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में एक न्यायालय को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु 500 पत्रावलियों की सीमा नियत की गयी है लेकिन माननीय महोदय मेरे न्यायालय में लगभग 1200 पत्रावलियों लम्बित है साथ ही मेरे द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के साथ–साथ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, विशेष न्यायाधीश, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, एम0पी0/एम0एल0ए0 से सम्बन्धित डिजिग्नेटेड कोर्ट, गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें, इ0सी0 एक्ट (विद्युत अधिनियम) से सम्बन्धित मुकदमें, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट से सम्बन्धित मुकदमें, दाण्डिक अपील, सिविल अपील, सिविल रिवीजन, क्लेम पिटीशन, लैंड एक्वीजीशन रिफरेंसेज, निष्पादन वाद, प्रकीर्णवाद, परिवाद,धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 जैंसे लगभग प्रत्येक प्रकार के मुकदमों का निस्तारण किया जाना होता है जिसमें प्राचीन वादों, अधिक समय से जेल में निरूद्ध अन्डर ट्रायल के मामले, पाक्सो एक्ट के मामले तथा एम0पी0/एम0एल0ए0, एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। चूंकि उपरोक्त वर्णित तमाम तरह के मुकदमों का निस्तारण किसी एक न्यायालय के द्वारा उपरोक्त समस्त विषम परिस्थितियों में धारा 309 सी0आर0पी0सी0 के आलोक में निस्तारण किया जाना मानवीयरूप से सम्भव नहीं है इसके बावजूद मेरे द्वारा जेल में निरूद्ध अभियुक्तों को तथा पुराने मुकदमों को तथा विशेष न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की यथा सम्भव शीघ्र की तिथियां निर्धारित कर विचारण करने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

इस पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी0डब्लू01 स्वयं की मुख्य परीक्षा के उपरान्त 3 वर्षों तक गायब हो जाने के उपरान्त न तो साक्ष्य अंकित हो सकी और न ही विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ सकी। मेरे द्वारा ही गवाह के विरूद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत किया गया और उसके न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त मामले में कार्यवाही अग्रसर की गयी है। इसी बीच पत्रावली विभिन्न

न्यायालयों में अंतरित होती रही इस कारण माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित शीघ्र निस्तारण के आदेश, अत्यधिक कार्य की व्यस्तता के कारण मेरे संज्ञान में नहीं आ सकी और जैसे ही इस तथ्य का संज्ञान हुआ मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समय विस्तारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रेषित किया गया है।

माननीय महोदय के उपरोक्त अर्द्ध शासकीय पत्र के पैरा–4 में इस तथ्य का उल्लेख भी किया गया है कि जब यह पत्रावली ए0एस0जे0–द्वितीय के न्यायालय में मेरे समक्ष विचाराधीन थी और जैसे ही मेरे समक्ष गवाह 3 वर्ष बाद गिरफ्तार होकर न्यायालय में आया इसके बावजूद बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द शुक्ला द्वारा जिरह नहीं किया गया, गवाह सुबह से शाम तक न्यायालय में बैठा रहा। न्यायालय द्वारा विवश होकर पी0डब्लू01 से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। उसके पश्चात पत्रावली ए0एस0जे0–द्वितीय के न्यायालय से ए0एस0जे0/ पाक्सो कोर्ट में अन्तरित हो गयी। पूर्व में नियत दिनांक 03.09.2019 को "बिना अभियुक्त के जिरह का अवसर समाप्त करने के आदेश को रिकाल किये ही पी0डब्लू01 से जिरह अंकित किया गया है। " दिनांक 03.09.2019 को कार्यरत पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी कार्य की अधिकता में बिना किसी आवेदन के तथा बिना किसी आदेश के पूर्व में जिरह के अवसर समाप्ति के आदेश को यथावत कायम रहने की दशा में भी पी0डब्लू01 से जिरह कराया गया प्रतीत हो रहा है। पुनः जब यह पत्रावली मेरे न्यायालय में आयी तो चूंकि पी0डब्लू01 से जिरह जारी थी इसी कारण आगे भी जिरह होता रहा और जारी रहा। उपरोक्त तथ्यों को उद्घाटित करने से मेरा मात्र यह आशय है कि मेरे द्वारा विचारण द्रुत गति से संचालित करके यथाशीघ्र पूर्ण करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य बनाम आज्ञाराम आदि के नाम से एक अन्य पत्रावली स्पेशल केस नम्बर 4/2015 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मल्हीपुर भी लम्बित है। उसका भी विचारण गैगेस्टर कोर्ट में अग्रसर है उसके भी पीठासीन अधिकारी एक ही हैं। उसमें भी दो गवाह परीक्षित हो चुके हैं। यहां इस पत्रावली का उल्लेख इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि दोनों पत्रावलियों में एक ही अभियुक्त हैं और उनके एक ही अधिवक्ता हैं इसलिये पत्रावलियों में आगे पीछे की तिथि लगायी जाती है। श्री दिनेश कुमार शुक्ला ही दोनों पत्रावलियों में अभियुक्तगण के अधिवक्ता हैं और वे सप्ताह में एक दिन (बृहस्पतिवार) को इस जनपद से बाहर रहते हैं। न्यायालय में लम्बित आवश्यकता से अधिक मुकदमों के कारण, न्यायालय में लम्बित पत्रावलियों के रख रखाव एवं न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु पर्याप्त कर्मचारीगण की नियुक्ति न होने के कारण, जबकि यह समस्त तथ्य माननीय महोदय के संज्ञान में मौजूद हैं, धारा 309 सी0आर0पी0सी0 के यथावत् अनुपालन में यदि किंचित विषमता हुई है तो उसके पीछे मेरी कोई मंशा नहीं रही है। यह उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हुआ है। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय

एवं माननीय महोदय के आदेश, निर्देश एवं विधिक उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीय

शिवकुमार सिंह, 7.12.19

अपर सत्र न्यायाधीश

श्रावस्ती।

दिनांक 07.12.2019